

## कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली (राज.)

क्रमांक: स्था./प.161/2024/213

दिनांक: 07.06.2024

-:: आदेश ::-

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था./प.161/2024/85 दिनांक 15.02.2024 के द्वारा गठित District Courts Accessibility Committee को तुरन्त प्रभाव से अधिलंघित करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्र क्रमांक GEN/XV/147/2023/2327 दिनांक 05.12.2023 द्वारा eCommittee, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से जारी Standard Operating Procedure के बिन्दु संख्या 32 में दिए गए निर्देशों की पालना में निम्नानुसार न्यायक्षेत्र करौली के लिए District Courts Accessibility Committee का गठन किया जाता है :-

1. विशिष्ट न्यायाधीश, अनु.जाति/अनु.जनजाति : अध्यक्ष  
(अत्याचार निवारण) प्रकरण करौली
2. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं : सदस्य  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली (राज.)
3. श्री अब्दुल वाहिद, : सदस्य  
अधिवक्ता,  
न्यायालय परिसर, करौली (राज.)
4. श्री अजय कुमार वर्मा, : सदस्य  
District System Administrator,  
हाल लिपिक ग्रेड-प्रथम,  
न्या.वि.न्या. अजा/अजजा (अ.नि.) प्रकरण, करौली (राज.)

उक्त कमेटी दिव्यांगों को संलग्न माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्र दिनांक 05.12.2023 तथा Standard Operating Procedure में दिए गए निर्देशानुसार कार्यवाही करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिव्यांगों के सामने आने वाली किसी भी चुनौती का तुरन्त समाधान किया जा सकें।

Sd/-

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
करौली (राज.)

क्रमांक: स्था./प.161/2024/3645

दिनांक: 07.06.2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर (राज.)
2. विशिष्ट न्यायाधीश, अनु.जाति/अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण करौली
3. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली (राज.)
4. श्री अब्दुल वाहिद, अधिवक्ता, न्यायालय परिसर, करौली (राज.)
5. श्री अजय कुमार वर्मा, District System Administrator, हाल लि.ग्रे. I, न्या.वि.न्या. अजा/  
अजजा (अ.नि.) प्रकरण, करौली (राज.)
6. नोटिस बोर्ड, जिला एवं सेशन न्यायालय, करौली
7. सिस्टम आफिसर, जिला न्यायालय करौली की विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु
8. संबंधित/आदेश पत्रावली

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
करौली (राज.)